

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड - 2 में प्रकाशनार्थ)


सं. 14013/02/2011-अ.भा.से.-111

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 11 जनवरी, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र संवर्ग पर भारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1998 बैच के श्री टी. के. बागुल को दिनांक 30.03.2006 से स्थायी करते हैं :


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)